उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-14/965/एक-1-2017-5(22)/2016 टी.सी.-1

लखनऊ: दिनॉक: 08 अगस्त, 2017

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनूसची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है:-

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	डासना	डासना	3026	0.1140	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु
2			जलालाबाद	भिक्कनपुर	45	0.0218	
3					46	0.0437	
4					69	0.0087	
5					70	0.0175	
6					73	0.0140	
7					75	0.0031	
8					585	0.0100	
9				दुहाई	1	0.0032	
10					14	0.0019	
11					17	0.0394	
12					18	0.0175	
13					30	0.0084	
14					31	0.0020	
15					38	0.0087	
16					45	0.0150	

shasnadesh.up.nic.in

-2-

17					44	0.0300	
18					47	0.0110	
19					53	0.0087	
20					55	0.0075	
21					57	0.0100	
22					60	0.0630	
23					63	0.0210	
24					75	0.2398	
25					133	0.0351	
26					534	0.0100	
27					535	0.0219	
28					539	0.0250	
29					540	0.0450	
30					541	0.0240	
31					542	0.0202	
32					544	0.0090	
33					549	0.0420	
34					559	0.0090	
35					560	0.0450	
36					564	0.0190	
37					569	0.0240	
38					727	0.0075	
39					728	0.0075	
40					732	0.0340	
41					734	0.0082	
42					739	0.0034	
43					744	0.0031	

shasnadesh.upnic.in

44					745	0.0250	
45					746	0.0100	

-3-

46					747	0.0062	
47					750	0.0170	
48					765	0.0390	
49					772	0.0400	
50					776	0.0350	
51					777	0.0150	
52					784	0.0590	
53					787	0.1250	
54					789	0.0060	
55					816	0.0630	
56					828	0.0060	
57					1020	0.0550	
58					1039	0.0082	
59					1040	0.0164	
60					1098	0.0662	
61					1099	0.1930	
62					1104	0.0150	
63					1136	0.3737	
64					1148	0.0050	
65					1152	0.0680	
66					1166	0.0109	
67					1167	0.0169	
68					1191	0.0425	
69					1192	0.0106	
70					1377	0.0150	

shasnadesh.up.nic.in

71					1378	0.0600	
72					1382	0.0250	
73					1383	0.0600	
74					1384	0.0150	

-4-

75					1386	0.0100	
				योग	**कुल 75 गाटा**	**2.6254 हे0**	

2. यह भी आदेश दिये जाते हैं कि कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शाहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत मूल्य का मूल्य तथा पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखाशीर्षक ''0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ'' के नाम जमा कराया जायेगा।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- राज्य सरकार, नाली, चकमार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है कि चकमार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगें साथ ही पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

shasnadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा शासनादेशों के आलोक में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 75 गाटा रकबा 2.6254 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016

-5-

तथा शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-965(1)/एक-1-2017-5(22)/2016 टी0सी0-1 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या-1859, 1860/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/गा0बाद/2016, दिनॉक 23.11.2016, पत्र संख्या-1726, 1725/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/गा0बाद/2016, दिनॉक 26.08.2016 एवं पत्र संख्या-1732,/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/गा0बाद/2016, दिनॉक 30.08.2016 के सन्दर्भ में।
5. प्रबन्धक, (तक0), पी.आई.यू., ईपीई-01, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारिका नई दिल्ली-110075
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, 96, महात्मा गॉधी मार्ग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कर 15 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

shasnadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in